कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखदी जाएगी ।

राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

3165 श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने राजभाषा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के अधीन राजभाषा अधिनियम के अधिनियमित किए जाने के 24 वर्ष पश्चात तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम बनाए जाने के 19 वर्ष बाद भी अब तक केवल 6 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 19 वर्षों की अवधि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित वार्षिक कार्यक्रम के एक वर्ष के कार्य को क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों की विभागीय राजभाषा क्रियान्वयन समितियों में अब तक एक भी गैर सरकारी सदस्य को प्रेक्षक के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं । वार्षिक कार्यक्रम की कुछ मदों के संबंध में लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त कर लिये गये हैं किन्तु कुछ मदों के संबंध में लक्ष्य कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त नहीं हुए हैं । इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

3166. [Transferred to the 27th August 1987]

बरौनी संयंत्र में यूरिया की कमी

3167. श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 से 1986 की अवधि के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की बरौनी फैक्टरी में ग्यारह हजार टन यूरिया की कमी की जांच के संबंध में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई, यदि हां, तो कब-कब और किसके द्वारा जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या तोल मशीन ठीक नहीं थी जिसके कारण यूरिया को ठीक तरह नहीं तौला जा सका और यदि हां, तो इस गलती का कब पता चला तथा किस अवधि के दौरान कमी हुई, कितने-कितने समय-अन्तराल से तौल मशीन की जांच की गई, तौल मशीन की जांच न किए जाने के क्या कारण थे, क्या तोलने की प्रक्रिया भंडार में की जाती है, यदि हां, तो न गलती का पहले पता न लग पाने के क्या कारण हैं वजन का बोरियों के रूप में पता क्यों नहीं लगा' क्या यूरिया की कमी परिणामस्वरूप बोरियों को बेचे जाने के मामले में कोई जांच की गई थी; और

(ग) क्या किन्ही व्यक्तियों को दोषी पाया गया और यदि हां, तो किस अपराध के लिए तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम तथा पद-नाम क्या-क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी हां, जुलाई 1985 से अप्रैल 1986

के दौरान एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिसकी अध्यक्षता कुमारी अनीता ग्रोवर ने की थी तथा जिसके सदस्य सर्वश्री वी० कुमार डी० एन० भौमिक, आई० के० सूरी तथा एन० के० सदाशिवम थे । समिति ने 11.654 टन यूरिया कम पाया जिसका मुख्य कारण उत्पादन की घोषणा में नई गलतियां तथा सिलो में वास्तविक भंडार के आंकलन में अन्तर्ग्रस्त कठिनाई थी, विशेषतः जब सिलो में उच्च भंडार होता है । यह कमी अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1985/जनवरी 86 से संबद्ध थी ।

(ख) यूरिया संयंत्र में उत्पादन का निर्धारण बेल्ट वेयर की गणना के आधार पर किया जाता है । यद्यपि वह खराब नहीं था किन्तु उसका निष्पादन मुख्यतः यूरिया के उत्पादन की अस्थिर दर के कारण अशुद्ध में था । समिति ने पाया कि सुधारक उपायों को नियमित रूप से लागू नहीं किया गया, यद्यपि निर्देशों के अनुसार इसकी पन्द्रह दिनों में एक बार जांच गई । यूरिया को पैकेजिंग के लिए बैगिंग संयंत्र में तथा स्टोर में प्रयुक्त तुलन मशीनों में कोई दोष नहीं पाया गया । प्रेषित मात्रा भरी हुई बोरियों के रूप में ज्ञात होती थी । यह तथ्य नहीं है कि बोरियों को यूरिया की कमी के कारण बेचा गया। अतः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये किन्तु उनके नाम बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि वे दोषी हैं या नहीं । निदेशकों के बोर्ड ने दोषी पाये जाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया है।

बिहार में दरभंगा में नारियल के पौधे लगाने में अनियमितताएं

3168. **श्री अशोक नाथ धर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने अपने 24 मार्च, 1986 के पत्र द्वारा बिहार के दरभंगा जिले में नारियल के पौधे लगाने और उर्वरकों और बीज के वितरण में की गई गड़ बड़ी की जांच किए जाने की मांग की है ;

(ख) क्या इन आरोपों को सच पाया गया ; यदि हां, तो ब्लाक-वार कितने-कितने नारियल के पौधे वितरित किये गए, कितने पौधे खरीदे गए तथा कहां से वह किस कीमत पर खरीदे गए; उर्वरक और बीज की ब्लाक-वार कितनी-कितनी मात्रा वितरित की गई तथा उस अवधि के दौरान जिन किसानों को यह वितरण किया गया उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ग) क्या इस समय एक भी नारियल का पेड़ नहीं है, यदि हां, तो वे पेड़ कहां गए, और यदि नहीं, तो ब्लाक-वार शेष बचे पेड़ों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन सभी आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो या सी० आई० ए० द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Import of Fishing Trawlers

3169. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what is our last three years import of fishing trawlers, indicating the number and the amount spent thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE